अजय सिंह ने सदा नई कार्यकारिणी पर निशाना

कहा जिनके कारण हुआ बंटाधार उन्हीं से सलाह,भगवान ही मालिक

भोपाल,(निप्र)। मध्यप्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी की सूची जारी होने के बाद से ही पार्टी में घमासान मचा हुआ है। इंदौर में विरोध के बाद अब प्रदेश के सीनियर नेता अजय सिंह राहुल भैया ने कार्यकारिणी को लेकर खुलकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने पार्टी के सीनियर नेता का नाम न लेते हुए कहा जिनकी वजह से मध्यप्रदेश में पार्टी की दुर्दशा हुई यदि उन्हीं के कहने पर कार्यकारिणी बनेगी तो पार्टी का भगवान ही मालिक है। उन्होंने कार्यकारिणी में बड़ी संख्या में विधायकों को शामिल किए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा विधायक संगठन में समय देगा या फिर अपनी विधानसभा क्षेत्र देखेगा। पूर्व विधानसभा नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया ने कहा मध्यप्रदेश में कांग्रेस की खराब हालत को 20 साल हो गए, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार नेता के कहने पर ही निर्णय हो रहे हैं। यह पार्टी का दुर्भाग्य है। कार्यकारिणी को लेकर नेताओं की राय ली जानी चाहिए के सवाल पर उन्होंने कहा जिन्होंने यह घोषित की, उनसे ही पूछना चाहिए कि इसमें सबकी राय है या नहीं। कार्यकारिणी में एक व्यक्ति एक पद की फामूर्ले का पालन न किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा जिन्होंने कार्यकारिणी में नाम शामिल किए जाने को लेकर जो नाम दिए और जिन्होंने इन्हें शामिल किया उन्हें इस पर सोचना चाहिए।

अजय सिंह ने कहा कार्यसमिति में विन्ध्य क्षेत्र की अनदेखी की गई है। हमारे अंचल के साथ कांग्रेस की सोच है ही नहीं। विन्ध्य क्षेत्र में रीवा, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, कटनी जैसे करीब 9 जिले आते हैं। इनमें से दो-तीन नाम को छोड़ दें तो बाकी जिलों से कोई नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि क्या इसी तरह से कांग्रेस मजबूत होगी। पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा चुके नेताओं के समर्थकों को सूची में स्थान दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा पार्टी में आजकल ऐसे ही लोगों का बोलबाला है। जल्द खुलकर भी नाम लेंगे।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने दी बधाई

भोपाल,(निप्र)। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दीपावली पर्व के शुभ अवसर पर सभी शासकीय सेवकों को तोहफा दिया है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने समस्त शासकीय सेवकों को जो पूरी मेहनत और लगन से मध्यप्रदेश को बेहतर बनाने के लिये लगे हुए हैं को बधाई दी है। उल्लेखनीय है कि शासकीय सेवकों को दिये जाने वाले महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि का निर्णय लिया गया है।

रेहड़ी पटरी पर व्यवसाय करने वालों को तहबाजारी कर से छूट

भोपाल,(निप्र)। प्रदेश में दीपावली पर्व के अवसर पर रेहड़ी पटरी पर अस्थायी रूप से व्यवसाय करने वाले छोटे व्यवसायियों को स्थानीय सामग्री विक्रय करने पर लगने वाले बाजारी कर और शुल्क से छूट प्रदान की गई है। यह आदेश 29 अक्टूबर से 11 नवम्बर (ग्यारस पर्व) तक प्रभावशील रहेगा। यह आदेश स्थानीय कौशल उस पर आधारित स्व-रोजगार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने आज आदेश जारी किया है। बाजारी कर अथवा शुल्क से छूट का फायदा स्थानीय, ग्रामीण कारीगरों, गरीब महिलाओं द्वारा संचालित स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित मिट्टी एवं गोबर के दीपक, दीप-मालाएँ तथा धार्मिक प्रतीकों के विक्रय पर विशेष रूप से दिया जायेगा। इस संबंध में जिला कलेक्टर्स को विभाग ने दिशा-निर्देश दिये हैं। बाजारों में इस संबंध में लगने वाली दुकानों पर साफ-सफाई और आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था किये जाने के लिये स्थानीय निकायों को निर्देशित किया गया है।

SATYA SHYAM TRADING LTD.
CIN : L51102MP1984PLC002664
Regd. Office : 110, Siyaganj, INDORE-452007 (M.P.) Ph. 0731-2533410, 2533602
Website : www.satyashyam.com, E-mail : shyamsaty@rediffmail.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 47(1)(a) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Wednesday on 06th Day of November, 2024 at 03.00 PM** at the Branch Office of the company at 4, Chittaranjan Avenue, Hindusthan Building, Kolkata-700072, inter-alia, to consider and approve Un-audited Financial Results for the Quarter and Half Year ended on **30th September, 2024.** The said notice is also available at company's website:**https://www.satyashyam.com/** and Metropolitan Stock Exchange of India Limited (MSEIL) website at **https://www.msei.in** or **https://mylisting.msei.in.**

For **Satya Shyam Trading Limited**
Sd/-
Shiv Prasad Agarwal (Managing Director)
DIN: 00545387

Date : **28.10.2024**
Place : **INDORE**

सावधान जाहिर सूचना

दिनांक 27/10/2024

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार मोतीलाल पिता नारायण जाति गवली एवं सुरेश पिता नारायण जाति गवली निवासी मनावर के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम भरड़पुर तह. मनावर के पटवारी हल्का 27 / 7 सर्वे क्र.. 158/3 रकबा 1.672 हेक्टारे एवं सर्वे क्र. 157/1/2 रकबा 0.240 हेक्टारे की भूमि स्थित होकर उक्त भूमि पर मेरे पक्षकार मालिक नाते काबिज होकर कृषि कार्य करते चले आ रहे है। सर्वे क्र. 158/3 रकबा 1.672 हेक्टारे की भूमि का अवैध रूप से बटांकन हुआ होकर जिसका नया बटांकन क्र. 158/3/1 रकबा 0.321 हेक्टारे की भूमि मेरे पक्षकारगण के स्वामित्व व आधिपत्य की है। जिसको भुवानीराम पिता नारायण जाति गवली निवासी मनावर एवं कुछ भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से फर्जी दस्तावेज बनाकर अवैध तरीके से उक्त मेरे पक्षकारगण की भूमि को बिक्री कर अंतरित करना चाहते है। जबकि उक्त भूमि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर द्वारा रिट पीटिशन क्र. 15007 / 2024 मे दिनांक 31/05/2024 को आदेश पारित कर उक्त भूमि के संबंध में स्थगन आदेश दिया गया है। उपरोक्त कृषि भूमि सर्वे क्र. 158/3/1 रकबा 0.321 हेक्टारे को कोई भी व्यक्ति, संस्था किसी भी प्रकार से विक्रय अथवा क्रय, अनुबंध सव्यवहार न करे अन्यथा उक्त सव्यवहार शून्य माना जाकर उक्त व्यक्तियों के विरूद्ध भी कानूनी कार्यवाही करने हेतु हमारे पक्षकार बाध्य रहेंगे जिसके परिणाम एवं हर्जे खर्चे की जवाबदारी उक्त व्यक्ति की रहेगी। सो सूचित होवे।

एडव्होकेट
(सुनिलकुमार कुशवाह)
जूनी मनावर जिला धार मोबा.9827865575

एक नजर

गोवर्धन पूजा पर अवकाश, जीएडी ने जारी किए आदेश

भोपाल,(निप्र)। मध्य प्रदेश सरकार ने दीपावली पर गोवर्धन पूजा और भाई दूज पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। इसके सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किए है। आदेश में निगोशियएल इन्स्ट्रूमेंन्टस एक्ट 1881 की धारा 25 के अंतर्गत 1 नवंबर दिन शुक्रवार को गोवर्धन पूजा एवं तीन नंवबर दिन रविवार को भाई दूज के उपलक्ष्य में सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया है। बता दें तीन नवंबर को रविवार होने से शासकीय अवकाश है।

इससे एक दिन पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गोवर्धन पूजा के दिन अवकाश की घोषणा की थी। इस बार कर्मचारियों को दीपावली पर लगातार चार दिन का अवकाश मिलेगा। 31 अक्टूबर को दिवाली की छुट्टी रहेगी, 1 नवंबर को गोवर्धन पूजा का अवकाश होगा और इसके बाद आने वाले शनिवार और रविवार के चलते छुट्टियां रहेगी।

मिट्टी के दीपक बेचने वालों से टैक्स नहीं वसूलने का निर्देश

सीहोर ,(निप्र)। दीपावली पर्व पर शहर की स्वच्छता के साथ अन्य गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर ने कार्यालय में पहुंचकर अधिकारियों और कर्मचारियों से चर्चा की। इस मौके पर शहरवासियों को पर्व पर नियमित रूप से पेयजल की पूर्ति हो इसके अलावा शहर में साफ-सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे साथ ही मिट्टी के दीपक बेचने वाले से कर वसूली नहीं करने के आदेश दिए है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को शहर में लगने वाले बाजारों मिट्टी के दीपक बेचने वालों से किसी भी प्रकार की कर वसूली नहीं किए जाने के आदेश दिए हैं। साथ ही नपाध्यक्ष श्री राठौर ने किसी प्रकार की असुविधा न हो और मिट्टी के दीपकों सहित अन्य माटी उत्पादों के उपयोग के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित किए जाने के भी आदेश दिए हैं।

जाहिर सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत सुन्द्रेल प.ह.नं. 47/98 तह. धरमपुरी जिला धार म.प्र. में आवासीय सह व्यवसायीक प्रयोजन की आबादी के अन्दर मकान स्थित हैं। जो पूर्व से पश्चिम 23 फिट उत्तर से दक्षिण 41 फीट कुल क्षेत्रफल 943 वर्गफिट अर्थात 87.639 वर्गमीटर हैं। जिसके तल भाग पर आगे की और 15 बाय 23 कुल क्षेत्रफल 345 वर्गफिट भूमि पर दुकान बनी होकर एवं पिछे की और शेष 598 वर्गफिट भूमि पर आर.सी.सी. का आवासीय मकान बना हुआ हैं। जिसका मकान नं. 58/1 हैं। उक्त सम्पत्ति ग्राम पंचायत सुन्द्रेल में सम्पत्ति कर पंजी वर्ष 2024-25 रेकार्ड में पंजी क्र. 214 / 2024 पर दर्ज हैं। जिसका ग्राम पंचायत सुन्द्रेल का प्रमाण पत्र क्रमांक / 275 / पंचायत / 2024 दिनांक 02/02/2024 हैं। उक्त सम्पत्ति दिनेश पिता हिरालाल सेन एवं श्रीमति मधुबाला सेन पति दिनेश सेन जाति सेन (नाई) निवासी वार्ड नं. 06 ग्राम सुन्द्रेल तह. धरमपुरी जिला धार म.प्र. के नाम से दर्ज हैं। उक्त सम्पत्ति को मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा सुन्द्रेल द्वारा बंधक रखी जा रही हैं। सदर मकान एवं सम्पत्ति पर किसी व्यक्ति, संस्था, निकाय, बैंक इत्यादि का कोई हक रहन, कर्ज, डिक्री, आपत्ति, चार्ज, जमानत या किसी भी प्रकार का भार बोझ आदि हो तो इस जाहिर सूचना के प्रकाशन के बाद संबंधित व्यक्ति, संस्था, निकाय, बैंक आदि इस सूचना प्रकाशन से 8 दिन की अवधि में मय लिखित प्रमाण में आपत्ति मेरे समक्ष या मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा सुन्द्रेल के समक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि या मियाद के बाद या पश्चात मेरे पक्षकार मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा सुन्द्रेल के समक्ष किसी की भी आपत्ति मान्य व स्वीकार नहीं होगी।

पक्षकार तर्फे अधिवक्ता
जितेन्द्र सेन, एडव्होकेट
धरमपुरी जिला धार मो.नं. 8461039672

In The Court Of I Civil Judge,Senior Division and Chief Judicial Magistrate,
District Court, Burhanpur Presiding Officer : **श्रीमति सरिता जतारिया**

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम
सक्सेशन प्रकरण क्रमांक (MICSUC/0000019/2024).

नरेन्द्र. ...आवेदक

Vs

शासकीय सुभाष उच्चतर विद्यालय द्वारा प्राचार्य ....अनावेदक

पेशी दिनांक :- 19/11/2024

प्रेषिती-

(1) सर्वसाधारण पता- जिला बुरहानपुर मप्र (2) आम जनता आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक नरेन्द्र पता ने मृतक हरपालदास पिता रामुमल निवासी सिंधी बस्ती बुरहानपुर तहसील व जिला बुरहानपुर की राशि/ संपत्ति हेतु उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/संरक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये इस न्यायालय में आवेदन किया है जिसकी सुनवाई दिनांक 19 November 2024 को नियत है।

यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में आवेदक को उक्त मृतक का उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/संरक्षक होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जारी किये जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनांक 19 November 2024 को न्यायालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहें । सूचना उपरांत, यदि अनुपस्थित रहे तो प्रकरण की सुनवायी एक पक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा।

यह आज तारीख 15 October 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

कृपया ध्यान दें-

1. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो अगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

न्यायाधीश (सरिता जतारिया
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड जिला- बुरहानपुर (म.प्र.)

एसपी ने थानों का किया औचक निरीक्षण

मालखाने व हवालात की नियमित जांच के दिए निर्देश

विदिशा,(निप्र)। इन दिनों विदिशा में एसपी रोहित काशवानी ने रात में शहरी और ग्रामीण इलाकों में निरीक्षण करके सुरक्षा व्यवस्था का हाल जान रहे हैं। बीती रात एसपी ने कागपुर और नटेरन थाने का औचक निरीक्षण करके व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने मालखाना, हवालात, कंप्यूटर कक्ष, रिकॉर्ड आदि का निरीक्षण कर थाना प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने देर रात में जिले के थाना कागपुर और नटेरन थाने का औचक निरीक्षण किया। थाना परिसर को बारीकी से देखा कमी मिलने पर नाराजगी जताई। इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मचारियों को सतर्क रहकर गश्त करने और थाना मुख्यालय से अनुपस्थित रहने से बचने के निर्देश दिए। थाने के सभी रजिस्टरों को अपडेट रखने, मालखाने, हवालात की नियमित जांच करने और थाने की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने के बात कही ।

लंबित प्रकरणों के निराकरण के दिए निर्देश-इस दौरान एसपी ने पुलिसकर्मियों से कहा कि थाने में आने वाले फरियादी की शिकायत को गंभीरता से सुना जाए और समय पर निराकरण किया जाए। महिलाओं, बच्चों व बुजुर्गों की शिकायतों पर संवेदनशीलता के साथ तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने थाने में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। साथ ही इलाके के गुंडा-बदमाशों पर कड़ी नजर रखने की बात कही। थाना प्रभारी को पुलिस गश्त व्यवस्था मजबूत करने, आम लोगों से आपसी समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए।

संवेदनशील मामलों का जल्द निपटारा हो-इस मौके पर उन्होंने सभी पुलिसकर्मी से कहा कि सभी अपनी जिम्मेदारी को पूरी करते हुए आमजन की सुरक्षा के लिए लगातार काम करते रहना चाहिए।

एम्स से ड्रोन के जरिए होगी दवा सप्लाई पीएम मोदी आज करेंगे वर्चुअल शुभारंभ

भोपाल,(निप्र)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को भोपाल के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के नए विस्तार भवन का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा ड्रोन सेवा सुविधा का भी शुभारंभ करेंगे। एम्स विस्तार कौटिल्य भवन 11,900 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली एक आधुनिक छह मंजिला इमारत है। जिसकी परियोजना लागत 64.44 करोड़ रुपये है। एम्स के कार्यकारी निदेशक और सीईओ प्रोफेसर अजय सिंह ने कहा कि 'नई सुविधा चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और नैदानिक सेवाओं में और प्रगति की सुविधा प्रदान करेगी।

In The Court Of I Civil Judge, Senior Division and Chief Judicial Magistrate
District Court Burhanpur Presiding Officer: श्रीमती सरिता जतारिया
आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम
सक्सेशन प्रकरण क्रमांक (MUC SUC/0000010/2024)

चंद्रकांत.......... **आवेदक**

V/s

विद्या............ **अनावेदक**

Process Id/2024
पेशी दिनांक 08-11-2024

प्रेषिती

(1) सर्व साधारण पता जिला बुरहानपुर मप्र (2) आम जनता

आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक चंद्रकांत पता ने मृतक गोपीनाथ रणछोडदास शाह निवासी डा. जाकिर हुसैन वार्ड शहर तह. व जिला बुरहानपुर राशि/संपत्ति हेतु उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/संरक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इस न्यायालय में आवेदन किया है। जिसकी सुनवाई दिनांक 08 November 2024 नियत है।

यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में आवेदक को मृतक का उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/संरक्षक होने संबंधी प्रमाण पत्र जारी किये जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनांक 08 November 2024 को न्यायालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहे। सूचना उपरांत यदि अनुपस्थित रहे तो प्रकरण की सुनवायी एक पक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा।

यह आज तारीख 04 October 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

कृपया ध्यान दें-

1. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय में अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्य दिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जाएगा।

न्यायाधीश (सरिता जतारिया)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड जिला-बुरहानपुर (मप्र)।

कार्यालय : उज्जैन नगर पालिक निगम

क्रमांक: SBM/2024/1059 **उज्जैन दिनांक 25-11-24**

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिक निगम उज्जैन के पास शहर में सेप्टिक टैंक सफाई व्यवस्था हेतु 4 सीवर वाहन क्लीनिंग मशीन वाहन उपलब्ध है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सेप्टिक टैंक सफाई हेतु नियत शुल्क ...जाकर रसीद जारी की जाती है। तत्पश्चात संबंधित झोन से सीवर क्लीनिंग वाहन मौका स्थल पर पहुंचाई जाकर सेप्टिक टैंक की सफाई करवाई जाती है इस हेतु लिए जाने वाले शुल्क का विवरण निम्नानुसार है-

क्रमांक	विवरण	शुल्क प्रति ट्रिप
1	शहरी क्षेत्र में स्थापित निजी आवासों के सेप्टिक टैंक सफाई शुल्क	500/-
2	शासकीय एवं अर्ध शासकीय संस्थानों के सेप्टिक टैंक सफाई शुल्क	900/-
3	निगम सीमा क्षेत्र से बाहर के सेप्टिक टैंक सफाई शुल्क	4000/-

शासन के दिशा निर्देश अनुसार प्रत्येक तीन वर्षों में सेप्टिक टैंक खाली करवाया जाना आवश्यक है, सेप्टिक टैंक सफाई हेतु आप नगरपालिक निगम उज्जैन के आगर रोड स्थित केंद्रीय कार्यालय अथवा दूरभाष नं. 0734-2535244 पर सम्पर्क कर सकते है, आनलाइन बुकिंग हेतु आप UMC सेवा एप का उपयोग कर सकते है। निरीक्षण के दौरान खुले में मल प्रवाहित होने, सेप्टिक टैंक ओवरफ्लो पाए जाने अथवा फीकल स्लज को खुले में डम्प किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार अर्थदंड की कार्यवाही की जाएगी।

उपायुक्त (SBM)
नगरपालिक निगम उज्जैन

डी.पी. आभूषण लिमिटेड

DP

CIN: L74999MP2017PLC043234
Regd. Office: 138, चांदनी चौक, रतलाम (म.प्र.) - 457001, भारत
Corp. Office: 19, चांदनी चौक, रतलाम (म.प्र.) - 457001, भारत
दूरभाष क्रमांक: +91 -7412 -490966, 247121
E-mail: cs@dpjewellers.com; Website: www.dpjewellers.com

30-09-2024 को समाप्त होने वाले तिमाही के लिए अनअंकेक्षित वित्तीय परिणाम

आंकड़े लाख में
(प्रति अंश आय को छोड़कर)

विवरण	मानक वित्तीय परिणाम		
	समाप्त तिमाही के लिए		समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
	30-09-2024 अनअंकेक्षित	30-09-2023 अनअंकेक्षित	31-03-2024 अंकेक्षित
व्यापार से कुल आय	100481.43	54627.94	234036.74
शुद्ध लाभ (कर और असाधारण वस्तुओं से पहले)	3335.85	1774.25	8338.72
शुद्ध लाभ (कर से पहले और असाधारण वस्तुओं के बाद)	3335.85	1774.25	8338.72
शुद्ध लाभ (कर और असाधारण वस्तुओं के बाद)	2512.85	1332.87	6186.21
कुल व्यापक आय (कर एवं अन्य व्यापक आय के बाद)	2499.02	1324.08	6180.07
सामान्य अंश पूंजी (प्रति अंश रुपया 10/-)	2261.09	2225.49	2225.49
संचय (पिछले वर्ष की अंकेक्षित तलपट के अनुसार पुनर्मूल्यांकित संचय को छोड़कर)			21649.57
प्रति अंश आय (जारी और बंद किए गए व्यापार के लिए)			
मूल: (समाप्त तिमाही के लिए, बिना वार्षिक किए)	11.21	5.95	27.80
मिश्रित: (समाप्त तिमाही के लिए, बिना वार्षिक किए)	11.20	5.95	27.80

टिप्पणियाँ:

उपरोक्त वित्तीय परिणाम सेबी (सूचि निर्धारण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के तहत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के साथ दायर वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक भाग है। 30-09-2024 को समाप्त तिमाही वित्तीय परिणाम NSE की वेबसाइट www.nseindia.com, BSE की वेबसाइट www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.dpjewellers.com पर उपलब्ध है।

डी. पी. आभूषण लिमिटेड
-एस डी -
संतोष कटारिया, प्रबंध निर्देशक
DIN - 02855068

दिनांक: 28 अक्टूबर, 2024
स्थान: रतलाम